न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

प्रा0पत्र संख्या :– 12/2012 (बाजदायरी)

उनवान

1. गोपीचन्द पुत्र श्री मौहर सिंह जाति गुर्जर निवासी गढी, तह0 रूपवास जिला भरतपुर। (मृतक)
2. कुँवर सैन वगै0

.....प्रार्थी

बनाम

समस्त ग्राम वासियान गढी तहसील रूपवास जरिये किशन सिंह पुत्र गपुआ जाति गुर्जर निवासी गढी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 09 जा0दी0, बाबत् पुनः नम्बर पर लेने अपील संख्या 09/2006 उनवानी गोपीचन्द बनाम ग्राम वासी गढी।

उपस्थित :–
1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय दिनांक :– 03.11.2017

1. यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2011 के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2006 को अपील संख्या 07/2001 उनवानी गोपीचन्द बनाम ग्राम वासियान गढी, रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन पेश नहीं करने के कारण अदम तकमील में खारिज की गई थी। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाबत् पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील प्रस्तुत किया, जो दिनांक 27.04.2011 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2012 को प्रस्तुत किया गया है।

2. बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना– पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता गोपीचन्द की मृत्यु दिनांक 14.09.2011 को हो गई थी और

प्रार्थीगण को अपील संख्या 07/2001 के बारे में, उनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कुछ भी नहीं बताया। परन्तु दिनांक 13.09.2012 को जब प्रार्थीगण अपने अन्य किसी केस के बारे में सलाह लेने वकील साहब के पास आये तो पता चला कि प्रार्थीगण के पिता ने उक्त उनवानी अपील न्यायालय हाजा में कर रखी हैं, जो उनके तारीख पेशी में नहीं आने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। प्रार्थीगण अपील को मैरिट पर निस्तारण कराना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, मूल अपील को नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस प्रार्थी पर मनन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील दिनांक 28.04.2001 को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर हुई एवं केवल एक रैस्पो0 की तलवी हेतु दिनांक 16.06.2004 तक लम्बित रही। दिनांक 24.07.2004 को रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन पेश करने के आदेश प्रदान किये गये, किन्तु प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 24.07.2004 से दिनांक 31.01.2006 तक, 01 वर्ष 6 माह का समय व्यतित होने के उपरान्त भी रैस्पो0 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन पेश नहीं किये। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 31.01.2006 को अदम तकमील में खारिज हुई। मूल अपील पत्रावली के अदम तकमील में खारिज होने पर प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 15.02.2006 को बाजदायरी प्रार्थना–पत्र, वास्ते मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेने बाबत् प्रस्तुत किया, जो दिनांक 27.04.2011 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ, उक्त बाजवा प्रार्थना पत्र को नम्बर पर लेने के लिए पुनः यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा 01 वर्ष 5 माह बाद इन कथनो के साथ पेश किया गया है कि प्रार्थी के पिता गोपीचन्द का देहान्त दिनांक 13.09.2011 को हो गया था। अतः प्रार्थी तारीख पेशी पर नहीं आ सके। प्रार्थी अपने पिता गोपीचन्द की मृत्यु दिनांक 13.09.2011 को होना बताता है। किन्तु बाजवा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2011 को ही अदम पैरवी में खारिज हो चुका था। मृत्यु दिनांक 13.09.2011 एवं बाजवा प्रार्थना पत्र खारिज दिनांक 27.04.2011 के समय में लगभग 4 माह 15 दिन का अन्तर है। मृत्यु से पूर्व प्रार्थी अपीलाण्ट का पिता, पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र दायर कर सकता था। किन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया है एवं ना ही अपीलाण्ट के पुत्र (प्रार्थी) द्वारा इस बाबत् कोई उचित कारण ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा बाजवा प्रार्थना मियाद बाहर पेश किया गया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र, पूर्व में भी दिनांक 27.04.2011 को अदम हाजरी में एवं मूल अपील, अदम तकमील में खारिज हो चुकी है। उपरोक्त विवेचानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट, अपनी अपील/प्रार्थना पत्र(बाजवा) के संचालन में गम्भीर नहीं है। लिहाजा हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज योग्य समझतें हैं।

5. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर